



## पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

वेबसाइट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाषनं: 01572-232411

क्रमांक:- 12925

दिनांक: 03/9/2022

## सीमित निविदा सूचना संख्या 3/2021-22

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में वृक्षारोपण के लिए उच्च गुणवत्ता पूर्ण निम्नलिखित किस्म के पेड़-पौधों की आपूर्ति एवं निर्धारित स्थान पर लगाने हेतु नर्सरी धारकों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

S. No.	Item Description	Size/Height	Rate per item (inclusive of all govt. taxes, other levie, duties and GST)
1	2	3	4
1.	Bottle Brush Topari	4-5 Feet	
2.	Plumeria Singaporensis	3-4 Feet	
3.	Ficus Black Topri	3 Feet	
4.	Bottle Palm	9-11 Feet	
5.	Conocarpus	7-8 Feet	
6.	Jaismin	-	
7.	Madhukamani Dwarak Topri	2.5 - 3 Feet	
8.	Terminal Area	11-12 Feet	
9.	Cajurina Topri	4-5 Feet	
10.	Foxtal Palm	10-12 Feet	
11.	Laxmi Taru	3-4 Feet	
12.	Transportation Charges	-	

निविदा ठीक तरीके से लिफाफे में मोहर बंद होकर उस पर उचित रूप से कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को संबोधित की जानी चाहिये। सीमित निविदा दिनांक 07.09.2022 को दोपहर 01:00 बजे या उससे पूर्व पहुंच जानी चाहिए। मोहर बंद निविदा को इस कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से भी दिया जा सकता है (कार्यालय में कार्य समय में) अथवा उसे रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जा सकता है। नियत समय तक प्राप्त निविदाओं पर ही विचार किया जावेगा। सीमित निविदा को दिनांक 07.09.2022 को दोपहर 03:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा या उसके अधिकृत किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा निविदा देने वाले या उसके प्रतिनिधियों के समक्ष जो उपस्थित हो खोली जायेगी।

## निविदा शर्त:-

1. निविदा की अनुमानित लागत राशि रु. 197000/- है।
2. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
3. निविदा ठीक तरीके से लिफाफे में मोहर बंद कर उस पर उचित रूप से कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को संबोधित किया जाना चाहिये।
4. निविदा का मोहर बंद लिफाफा दिनांक 07.09.2022 को दोपहर 01:00 बजे तक कार्यालय में पहुंचाना आवश्यक है। दिनांक 07.09.2022 को दोपहर 03:00 बजे प्राप्त निविदा को निविदा देने वाले या उसके प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा।

206

5. संवेदक का जी एस टी के अन्तर्गत पंजीयन होना आवश्यक है। जी एस टी पंजीयन संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
6. दर स्पष्ट शब्दों व अंकों में लिखे। त्रुटि व उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। कोई सुधार करना हो तो स्पष्ट काट कर पुनः लिखे व लघु हस्ताक्षर करें।
7. अनुमोदित संवेदक के लिए यह समझा जाएगा कि उससे निविदा की शर्तों व विशिष्टियों के संबंध में सावधानीपूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग आदि के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह निविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व विश्वविद्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
8. संवेदक को एक नोटेरी कृत शपथ पत्र इस आशय का संलग्न करना होगा कि उसकी फर्म को पिछले तीन वर्ष में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ पी.एस.यू. / विश्वविद्यालय या अन्य किसी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया है।
9. संवेदक की स्वयं की स्थाई नर्सरी हो।
10. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधान भी लागू होंगे।
11. विश्वविद्यालय के पास किसी भी संविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। जिन कार्यों के लिए मात्रा संविदा में दी गई है उनकी पूर्ण मात्रा या उनके किसी भाग के लिए विश्वविद्यालय की इच्छानुसार आदेश दिये जा सकते हैं। उपापन समिति को कार्य की मात्रा को कम या ज्यादा करने तथा संविदा प्रक्रिया को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार तथा किसी बोली या समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
12. समस्त कानूनी/विधिक कार्यवाही, यदि किसी भी पक्ष द्वारा संस्थित किये जाने की आवश्यकता पड़े तो राजस्थान में सीकर स्थित न्यायालय में ही प्रारम्भ करनी होगी किसी अन्य स्थान पर नहीं।
13. विश्वविद्यालय में लगाये जाने वाले पौधों की आपूर्ति एवं उचित स्थान पर लगाये जाने का कार्य संवेदक द्वारा किया जावेगा। संवेदक द्वारा लगाया जाने वाला पौधा स्वस्थ, बीमारी रहित होना चाहिये तथा पौधा Annexure-A में निर्धारित उंचाई से कम नहीं होना चाहिये।
14. संवेदक को Annexure-A में अंकित निर्धारित प्रजाति, मापदण्ड एवं मात्रानुसार लगाये जाने वाले समस्त प्रकार के पेड़-पौधों की आपूर्ति कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 03 दिवस में विश्वविद्यालय परिसर में सुनिश्चित करनी होगी। निविदादाता द्वारा Annexure-A में प्रस्तुत दरें समस्त करों सहित प्रस्तुत की जानी हैं।
15. संविदा की शर्तों एवं Annexure-A में अंकितानुसार विशिष्टियों के अनुरूप पेड़-पौधों की आपूर्ति नहीं पाये जाने पर संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर कार्यादेश निरस्त कर द्वितीय न्यूनतम बोलीदाता को कार्यादेश दे दिया जावेगा।
16. नियमानुसार देय करों (TDS) की कटौती स्रोत पर की जावेगी।
17. संवेदक को दरें समस्त करों (GST) सहित अंकित करनी होगी/भरनी होगी। पृथक से कोई भी दर मान्य नहीं होगी।
18. कोई राशि अग्रिम देय नहीं होगी।
19. कार्य सम्पादन का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी का निर्णय ही संवेदकों के लिए अंतिम एवं मान्य होगा तथा उक्त के बाद ही भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।
20. मैंने सभी शर्तों का अध्ययन कर लिया है एवं उल्लेखित सभी शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं।
21. यदि लगाया गया कोई पेड़/पौधा किसी कारणवश लगाये जाने से 15 दिवस के भीतर मृत हो जाता है तो संवेदक को उसके स्थान पर उसी के समरूप नया पौधा लगाना होगा।

क्रमांक:- 12925

दिनांक: 03/09/2022

Annexure-A

वित्तीय बोली प्रपत्र

उद्यान विकसित करने हेतु नये पेड़-पौधों का उपापन एवं निर्धारित स्थान पर लगाना

1. संवदेक का नाम :  
पूरा पता :
2. सम्बोधित : कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर
3. संदर्भ : निविदा सूचना क्रमांक 3/2022-23 दिनांक

S. No.	Item Description	Size	Rate per item (inclusive of all govt. taxes, other levie, duties and GST)
1	2	3	4
1.	Bottle Brush Topari	4-5 Feet	
2.	Plumeria Singaporensis	3-4 Feet	
3.	Ficus Black Topri	3 Feet	
4.	Bottle Palm	9-11 Feet	
5.	Conocarpus	7-8 Feet	
6.	Jaismin	-	
7.	Madhukamani Dwarak Topri	2.5 - 3 Feet	
8.	Terminal Area	11-12 Feet	
9.	Cajurina Topri	4-5 Feet	
10.	Foxtal Palm	10-12 Feet	
11.	Laxmi Taru	3-4 Feet	
12.	Transportation Charges	-	

निविदा की स्वीकृत वित्तीय सीमा में पौधों की आवश्यकतानुसार प्रकृति एवं संख्या हेतु स्वीकृत दरों पर आपूर्ति आदेश जारी किये जायेंगे।

1. दरें जीएसटी सहित समस्त करों को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत की जायें। प्रस्तुत दरों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के करों/प्रभार का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।
2. प्रस्तुत दरों में ही पेड़-पौधों की आपूर्ति एवं विश्वविद्यालय में उचित स्थान पर लगाया जाना शामिल है।

संवदेक के हस्ताक्षर